न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 20/2017

1– सुखदेव पुत्र लादू जाति कुम्हार, निवासी कुचामन सिटी , तहसील कुचामन सिटी , जिला नागौर, राजस्थान।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज0)

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता, अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.11.2016 बअनुवान सरकार बनाम बालूराम सुखदेव प्रकरण संख्या 40/16 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956.

निर्णय

दिनांक– 21.03.18

अपीलार्थी की ओर से अपील का संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है:–

यह है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटरी के समक्ष पेश की जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। जिसका निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुचामनसिटी ने दिनांक 15.11.2016 को जारी कर अप्रार्थी/अपीलार्थी पर 103/– रूपये जुर्माना कर दिया व बेदखली का आदेश कर दिया । उक्त निर्णय दिनांक 15.11.2016 से आहत/व्यथित होकर अपीलार्थी उक्त अपील निम्न आधार पर पेश कर रहा है:–

अपील के आधार

1. यह है कि उक्त निर्णय बिना किसी साक्ष्य सबूत व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित कर दिया गया जिससे न्याय की भारी हानि हुई है एवं

2. यह है कि आदेशिकायें पत्रावली देखने से स्पष्ट प्रतित होता है कि प्रकरण में न तो सायल के किसी प्रकार की साक्ष्य सबूत ली गई और न कोई मौका की रिपोर्ट या नक्शा आदि रिकॉर्ड पर लिया गया न ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज नक्शा अनुसार मौके पर कभी माप चौप किया गया और न ही कभी माप चौप की रिपोर्ट तैयार की गई न कभी पटवारी ने मौका देखा।

3. यह है कि मौके पर अपीलाण्ट अपनी रिकोर्डेड खातेदारी की कब्जा सुदा जमीन पर काबिज एवं काश्तकार है। उक्त भूमि अपीलाण्ट की मालिकाना हक से संबंधित है अपीलाण्ट के पास वर्तमान में उसके खाते में दर्ज भूमि से भी कम भूमि उपलब्ध है। फिर भी अपीलाण्ट को अतिक्रमी गलत घोषित किया गया है।

4. यह है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का पूरा पूरा अवसर नहीं दिया गया दिनांक 15.11.2016 को जब अपीलाण्ट को जवाब हेतु अवसर चाहा गया था तभी उसे अनुपस्थित किया जाकर बिना पटवारी के बयान लिये तथा बिना बालुराम के सम्मन या उसके हाजरी के निर्णय पारित कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह है कि आदेशिका के अनुसार स्पष्ट साबित होता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि इस प्रकरण में कोई मौका रिपोर्ट व किसी प्रकार का नाप चौप नहीं किया गया, ना ही मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया ना ही अपीलार्थी को इस बाबत कोई सूचना दी गई और ना ही किस हिस्से पर व क्या अतिक्रमण किया गया इत्यादि दर्शित व अंकित नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को गहनता से तथ्यों पर बिना गौर किये ही जैर अपील निर्णय खारिज व अपास्त योग्य है।

11.2016 को हो चुका ऐसी जानकारी मिलने से बड़ा आश्चर्य हुआ अपील अन्दर मयाद है तथा अपील को सुनने का श्रीमान को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

8. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे ।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 15.11.2016 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 30.1.17 अधिवक्ता श्री महेन्द्र खिलेरी द्वारा प्रस्तुत की गयी, जो दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 30.5.17 को अधिनस्थ न्यायालय से रेकर्ड प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का मौका नही दिया तथा न ही प्रार्थी से कोई जवाब लिया गया।

पटवारी हल्का कुचामन सिटी की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट सुखदेव पुत्र लादू जाति कुम्हार के विरूद्ध ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1494 कुल रकबा 0.41 हैक्टर किस्म गै0मु0 बा. 3 मे से 0. 41 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2073 के दौरान अप्रार्थीगण बालूराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी कुचामन सिटी ने पक्की दिवार व खेत में मिलाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के लिए अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर निर्णय दिनांक 15.11.16 द्वारा अपीलान्ट को मुतनाजा भूमि से अतिक्रमी घोषित करते हुवे बेदखल कर कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सालान पर अर्थदण्ड स्वरूप रूपये 103/– अक्षरे एक सौ तीन रूपये जुर्माना आरोपित किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का मनन किया। अपीलान्ट का नोटिस अन्तर्गत धारा 91 स्वंय सुखदेव द्वारा तामिल किया किया गया तथा स्वयं दिनांक 7.11.16 को तहसील पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 15.11.16 को जवाब हेतु नियत की गई परन्तु अपीलान्ट तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहा । अतः यह नहीं कहा जा सकता की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व जवाब हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निणर्य विधिसम्मत है।

:::: आ दे श ::::

उपर्युक्त तथ्यो को मध्य नजर रखते हुवे अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.11.16 यथावत रखा जाता है।

(बलवन्त सिंह लिग्गी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 21.3.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से ज़ारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्गी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)